

झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

[षोडश-सत्र]

25 जुलाई, 2019 (ई०)

गुरुवार, तिथि-

03 श्रावण, 1941 (श०)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

प्रश्नोत्तर

- (01)- सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना। (यदि हो)
- (02)- अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।
- (03)- शून्यकाल की सूचनाएँ।

ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्य

- (04)- श्रीमती सीमा देवी, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (जल संसाधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-23.07.2019 एवं 24.07.2019 से स्थगित)
- (05)- श्री राधाकृष्ण किशोर, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-23.07.2019 एवं 24.07.2019 से स्थगित)
- (06)- सर्वश्री नागेन्द्र महतो, भानू प्रताप शाही एवं डॉ० जीतू चरण राम, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, योजना-सह-वित्त विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-23.07.2019 एवं 24.07.2019 से स्थगित)
- (07)- डॉ० इरफान अंसारी, श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी एवं श्रीमती निर्मला देवी, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-23.07.2019 एवं 24.07.2019 से स्थगित)

कृ०पृ०३०/-

(02)

- (08)- श्री आलमगीर आलम,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (ग्रामीण विकास विभाग)की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-24.07.2019 से स्थगित)
- (09)-श्री बिरंची नारायण,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (ग्रामीण विकास विभाग)की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-24.07.2019 से स्थगित)
- (10)- श्री कुणाल षड़ंगी, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,जल संसाधन विभाग,ग्रामीण विकास विभाग एवं स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-24.07.2019 से स्थगित)
- (11)- श्री नवीन जयसवाल,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग)की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-24.07.2019 से स्थगित)
- (12)-श्री भानू प्रताप शाही,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-24.07.2019 से स्थगित)
- (13)- श्री फूलचन्द मण्डल,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (14)- श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (15)- सर्वश्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी,शिवशंकर उरांव एवं श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (16)- श्री राज सिन्हा,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार(उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (17)- श्री अरुण चटर्जी एवं श्री राज कुमार यादव,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य।

समितियों का गठन

- (18)- झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन। (यदि हो)

-: सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

- (19)-ऊर्जा विभाग के प्रभारी मंत्री श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा दामोदर घाटी निगम अधिनियम (1948 के अधिनियम-14) की धारा-45 के अनुसरण में दामोदर घाटी निगम का वार्षिक बजट प्रतिवेदन-2019-20 की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना।

कृ०पृ०३०/-

- (20)-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रभारी मंत्री,डॉ० नीरा यादव द्वारा झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् का वर्ष-2017-18 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखा विवरणी तथा झारखण्ड माध्यमिक शिक्षा परियोजना परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन-2017-18 की एक-एक प्रति का सभा पटल पर रखा जाना।
- (21)- झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना। (यदि हो)
- (22)- याचिकाओं का उपस्थापन। (यदि हो)

-: विधायी-कार्य :-

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण(अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) विधेयक,2019

- (23)-मंत्री प्रभारी(कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) श्री अमर कुमार बाउरी,प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) विधेयक,2019”को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (24)- मंत्री प्रभारी (कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग)श्री अमर कुमार बाउरी,उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (25)- मंत्री प्रभारी(कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) श्री अमर कुमार बाउरी, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) विधेयक,2019”पर विचार हो।
- (26)- मंत्री प्रभारी(कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) श्री अमर कुमार बाउरी, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) विधेयक,2019”स्वीकृत हो।

कारखाना (झारखण्ड संशोधन) विधेयक,2019

- (27)- मंत्री प्रभारी (श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग) श्री राज पलिवार, प्रस्ताव करेंगे कि“ कारखाना(झारखण्ड संशोधन) विधेयक,2019”को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (28)- मंत्री प्रभारी (श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग)श्री राज पलिवार,उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (29)- मंत्री प्रभारी(श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग) श्री राज पलिवार,प्रस्ताव करेंगे कि“ कारखाना (झारखण्ड संशोधन) विधेयक,2019”पर विचार हो।
- (30)- मंत्री प्रभारी (श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग) श्री राज पलिवार,प्रस्ताव करेंगे कि“ कारखाना (झारखण्ड संशोधन) विधेयक,2019”स्वीकृत हो।

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019

- (31)- मंत्री प्रभारी(उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग)डॉ० नीरा यादव, प्रस्ताव करेंगी कि "झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (32)- मंत्री प्रभारी(उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग)डॉ० नीरा यादव, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगी।
- (33)- मंत्री प्रभारी(उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग)डॉ० नीरा यादव, प्रस्ताव करेंगी कि "झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019" पर विचार हो।
- (34)- मंत्री प्रभारी(उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग)डॉ० नीरा यादव, प्रस्ताव करेंगी कि "झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019" स्वीकृत हो।
- (35)- अन्य नितान्त आवश्यक कार्य। (यदि हो)

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-05/2019-...../वि०स०, राँची, दिनांक-...24/07/19.....

प्रतिलिपि:- माननीय सदस्यगण, झारखण्ड विधान-सभा, राँची/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/सरकार के मुख्य सचिव, झारखण्ड/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/लोकसभा, नई दिल्ली/झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गुरुचरण सिंघू)

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-05/2019-...../वि०स०, राँची, दिनांक-...24/07/19.....

प्रतिलिपि:-संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को कमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-05/2019-...../वि०स०, राँची, दिनांक-...24/07/19.....

प्रतिलिपि:-झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाईट शाखा/पुस्तकालय शाखा एवं जनसम्पर्क शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

24/07/19